न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 2018/00240 (126/2018)

पवनकुमार पुत्र जयवीरसिंह जाति जाट निवासी सूरतपरा तहसील भादरा।

---अपीलांट

बनाम

1. क्लावती पुत्री ननू जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनमानगढ।
2. कमला पुत्री ननू जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. बलराज पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ---रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
निर्णय दिनांक 23.04.2018 प्रकरण संख्या 20/2017

उपस्थितिः–
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः– 08.03.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम पेश किया। प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत भूमि के जब तक खाता विभाजन न हो तब तक गैर सायलान अपने हक वा हिस्से में से स्पेसिफिफक हिस्सा को ना बेचने व वाद भूमि के किसी भी भू भाग को रहनख बैय व मुन्तकिल न करने व अपने हक हिस्से व कब्जे की कशि भूमि के उपयोग उपभोग करने कब्जा काश्त बाधा उत्पन्न न करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी न अपने निर्णय दिनांक 23.04.2018 के द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सायला लोगों के बहकावे में संयुक्त खाता की भूमि में ट्यूबवैल के पास की भूमि को बेचान करने की फिराक में है। जिससे अपीलाण्ट को नुक्सान होने का अंदेशा है। रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाण्ट के मध्य वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। रेस्पोडेण्ट खाता विभाजन करवाये बिना किसी विशेष भूभाग का बेचान नहीं कर सकती। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान ने भी अपने आरबीजे 2013 पेज 216 प्रकरण संख्या 72/2012 बअनवानी महेशचन्द्र बनाम देवीलाल में भी यही सिद्धान्त पारित किया है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अपीलाण्ट सह खातेदार काश्तकार है रेस्पोडेण्ट वाद भूमि के विशिष्ट भू भाग को बैय करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 आरबीजे पेज 216 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट केवल खरीददार है। वह भूमि का मूल खातेदार काश्तकार नहीं है जबकि रेस्पोडेण्ट मूल खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना-पत्र में विशेष हिस्से को बेचान नहीं करने का अनुतोष मांगा गया है जिसका अपीलाण्ट को अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट मूल खातेदार काश्तकार होने के कारण उसे अपने हिस्से के बेचान से पाबंद नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्ट है एवं विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2009 (1) आरआरटी पेज 25, 1997 आरआरडी पेज 30 व 447 व 2017 आरआरटी 797 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट द्वारा विवादग्रस्त भूमि के खाता विभाजन करवाये बिना स्पेसिफिक हिस्सा को ना बेचने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम सूरतपुरा ख. नं. 17/18 संवत 2071–74 की जमा बंदी उपलब्ध है। इस जमाबंदी में मूल खातेदार काश्तकार कमला व कलावती का नाम दर्ज है। पवनकुमार को विवादित भूमि में कलावती द्वारा 0.101 है. भूमि का बेचान किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट पवनकुमार अजनबी व्यक्ति से संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। अपीलाण्ट एक खरीददार है एवं रेस्पोडेण्ट एक मूल खातेदार काश्तकार है। एक सह खातेदार काश्तकार का कृषि भूमि के प्रत्येक इंच

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर अधिकार होता है तथा एक सह खातेदार को अपनी कृषि भूमि के कृषि उपयोग हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। विधिक प्रावधानों के अनुसार एक खातेदार काश्तकार अपनी सह काश्तकारी भूमि पर अपने हिस्से की भूमि को स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग कर सकता है। एक सह खातेदार काश्तकार मूल सह खतोदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करन का अधिकारी नहीं है। एक अभिलिखित काश्तकार को अपने हिस्से के बेचान से पाबंद नहीं किया जा सकता और जब तक विभाजन नहीं हो जाता कोई भी किसी तरह का निर्माण विशेष भाग पर नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

08/3/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official